



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]  
No. 376]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)  
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2018

फा. सं. 11/03/विनि./सुदृढीकरण/2014.—अधिसूचना संख्यांक फाइल सं. 11/03/विनि./सुदृढीकरण/2014, तारीख 2 अगस्त, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड- 4, खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढीकृत खाद्य) विनियम, 2018 के पृष्ठ संख्या 1-13 में प्रकाशित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना में -

1. पृष्ठ 4, पंक्ति 7 में "अनुसंधान संस्थानों से लैस करवाना; और" के स्थान पर "अनुसंधान संस्थानों से लैस करवाना।" पढ़ा जाएगा।
2. पृष्ठ 4, पंक्ति 26 में "2. सुदृढीकृत तेल: नीचे दी गई सारणी में दिये गए स्तर पर, वनस्पति तेल निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ सुदृढीकृत किया जा सकेगा:" के स्थान पर "2. सुदृढीकृत तेल: नीचे दी गई सारणी में दिये गए स्तर पर, वनस्पति तेल जब सुदृढीकृत किया जाता है तो निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ सुदृढीकृत किया जा सकेगा:" पढ़ा जाएगा।
3. पृष्ठ 4, पंक्ति 28 में "रेटिनाइल एसिटेट, रेटिनाइल पालमिटेट और रेटिनाइल प्रोपिनेट" के स्थान पर " रेटिनाइल एसिटेट या रेटिनाइल पालमिटेट" पढ़ा जाएगा।
4. पृष्ठ 4, पंक्ति 29 में "कॉलेकैल्सिफेरॉल, इरगो कैल्सिफेरॉल" के स्थान पर "कॉलेकैल्सिफेरॉल या इरगो कैल्सिफेरॉल" पढ़ा जाएगा।
5. पृष्ठ 4, पंक्ति 34, 35 और 36 में "3. सुदृढीकृत दूध नीचे दी गई सारणी में दिये गए स्तर पर टोनड, डबल टोनड, स्किमड दूध या मानकीकृत दूध निम्नलिखित सूक्ष्म पोषकों तत्वों के साथ अकेले या यौगिक रूप में सुदृढीकृत किया जा सकेगा:" के स्थान पर "3. सुदृढीकृत दूध नीचे दी गई सारणी में दिये गए स्तर पर, टोनड, डबल टोनड, स्किमड दूध या मानकीकृत दूध, जब सुदृढीकृत किया जाता है तो निम्नलिखित सूक्ष्म पोषकों तत्वों के साथ सुदृढीकृत किया जा सकेगा:" पढ़ा जाएगा।

6. पृष्ठ 5, पंक्ति 4 में "कॉलेकैल्सिफेरॉल, 'इरगो कैल्सिफेरॉल" के स्थान पर "कॉलेकैल्सिफेरॉल या 'इरगो कैल्सिफेरॉल" पढ़ा जाएगा।
7. पृष्ठ 5, पंक्ति 10 में "प्रति किग्रा सुदृढीकरण का स्तर (न्यूट.)" के स्थान पर "प्रति किग्रा सुदृढीकरण का स्तर" पढ़ा जाएगा।
8. पृष्ठ 5, पंक्ति 18 में "विटामिन बी12- साइनोकोबालमाइन, हाइड्रोजाइकोबालमाइन;" के स्थान पर "विटामिन बी12- साइनोकोबालमाइन, या हाइड्रोजाइकोबालमाइन;" पढ़ा जाएगा।
9. पृष्ठ 5, पंक्ति 29 में "नियासिन-निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड;" के स्थान पर "नियासिन (विटामिन बी3)-निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड;" पढ़ा जाएगा।
10. पृष्ठ 6, पंक्ति 2 में "विटामिन बी12- साइनोकोबालमाइन, हाइड्रोजाइकोबालमाइन;" के स्थान पर "विटामिन बी12- साइनोकोबालमाइन, या हाइड्रोजाइकोबालमाइन;" पढ़ा जाएगा।
11. पृष्ठ 6, पंक्ति 13 में "नियासिन-निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड;" के स्थान पर "नियासिन (विटामिन बी3)-निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड;" पढ़ा जाएगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./297/18]

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)**

**CORRIGENDA**

New Delhi, the 8th October, 2018

**F. No. 11/03/Reg/Fortification/2014.**—In the notification of Food Safety and Standards Authority of India, published in the Gazette of India, at pages 1-13 of Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, Extraordinary, Part III, Section 4, Vide notification number File No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2<sup>nd</sup> August, 2018,—

1. Page 10, in line 13 *for* "food; and" *read* "food."
2. Page 10, in line 30 *for* "2. Fortified Oil: Vegetable Oil shall be fortified with the following micronutrients, at the level given in the table below:" *read* "2. Fortified Oil: Vegetable Oil, when fortified, shall be fortified with the following micronutrients, at the level given in the table below:"
3. Page 11, in line 1, 2 and 3 *for* "3. Fortified Milk Toned, double toned, skimmed milk or standardized milk shall be fortified with the following micronutrients, at the level given in the table below:" *read* "3. Fortified Milk Toned, double toned, skimmed milk or standardized milk, when fortified, shall be fortified with the following micronutrients, at the level given in the table below:"

PAWAN AGRAWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exy./297/18]